एक नए बीज व्यवस्था की शुरुआत

लेखक- हरीश दामोदरन (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवसथा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

10 दिसम्बर, 2019

"किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मौजूदा कानून को बदलने की योजना बनाई है। इस आलेख में हम जानेंगे कि बीज अधिनियम, 1966 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्तावित विधेयक बिक्री, आयात, निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने के अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगा?"

मौजूदा 1966 कानून पहले से ही बीजों की गुणवत्ता के नियमन का प्रावधान करता है। तो फिर नया विधेयक क्या बदलाव लाना चाहता है?

वर्तमान अधिनियम केवल 'अधिसूचित प्रकारों या बीजों की किस्मों' को शामिल करता है। इस प्रकार, गुणवत्ता का विनियमन भी उन किस्मों के बीजों तक सीमित है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया है।

ऐसी किस्में ज्यादातर वे होंगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) द्वारा और आधिकारिक तौर पर तीन वर्षों या उससे अधिक समय के बाद खेती के लिए 'जारी (रिलीज)' की जाती हैं, ताकि उनकी उपज के प्रदर्शन, बीमारी और कीट प्रतिरोध, गुणवत्ता और अन्य वांछित लक्षणों का मूल्यांकन किया जा सके।

यह रिलीज अधिसूचना के लिए एक पूर्व शर्त है और द सीड्स एक्ट, 1966 के प्रावधान अधिसूचित किस्मों के उत्पादित प्रमाणित बीजों पर ही लागू होते हैं।

नया बीज विधेयक, 2019 'किसी भी प्रकार या बीजों की विविधता' के अनिवार्य पंजीकरण को सुनिश्चित करता है जिसे बेचने की मांग की जाती है। मसौदा विधेयक की धारा 14 के अनुसार, 'किसी भी प्रकार का कोई बीज या किस्म, किसी भी व्यक्ति द्वारा बुवाई या रोपण के उद्देश्य से, तब तक बेचा नहीं जाएगा जब तक कि वह पंजीकृत न हो।'

दूसरे शब्दों में, निजी कंपनियों के संकर/किस्मों को भी पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी और उनके बीजों को अंकुरण, भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता आदि से संबंधित न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। ब्रीडर्स को दी गई शर्तों के तहत अपनी पंजीकृत किस्मों के अपेक्षित प्रदर्शन का खुलासा करना होगा।

यदि इस तरह के पंजीकृत प्रकार या किस्म के बीज 'ऐसी दी गई शर्तों के तहत अपेक्षित प्रदर्शन प्रदान करने में विफल रहते हैं', तो किसान 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्माता, डीलर, वितरक या विक्रेता से मुआवजे का दावा कर सकता है।'

इस विधेयक को लाने के पीछे क्या कारण है?

1966 का कानून हरित क्रांति के समय लागू किया गया था, जब देश में शायद ही कोई निजी बीज उद्योग था। उच्च पैदावार वाले गेहूं और धान की किस्में, जिन्होंने 1980 के दशक तक भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बना दिया था, विभिन्न आईसीएआर संस्थानों और एसएयू द्वारा विकसित किए गए थे।

इन सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं ने गेहूं, धान (बासमती सहित), गन्ना, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, आलू, प्याज और अन्य फसलों के उत्पादन में अपना दबदबा बनाए रखा है, जहाँ किसान बड़े पैमाने पर खुले परागण वाली किस्मों (ओपीवी) का उत्पादन करते हैं, जिनका अनाज पुनः रोपण के लिए बीज के रूप में बचाया जा सकता है।

हालांकि, पिछले तीन दशकों या उससे अधिक में, निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण अंतर्ग्रहण किए हैं, विशेष रूप से ऐसी फसलों में जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए उत्तरदायी हैं (उनके बीज पहली पीढ़ी के संकर हैं जो दो आनुवंशिक रूप से विविध पौधों से उन्नत होते हैं और जिनकी पैदावार इनके पेरेंट्स से अधिक होती है; भले ही इसे बीज के रूप में फिर से उपयोग किया जाता हो लेकिन यह 'एफ 1' वाली ताकत नहीं देगा)।

आज, निजी संकर बीज उद्योग का आकार लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। जिसमें कपास (4,000 करोड़ रुपये), सब्जियाँ (3,500 करोड़ रुपये), मक्का/मक्का (1,500 करोड़ रुपये), धान (1,000 करोड़ रुपये), मोती बाजरा/बाजरा (300 करोड़ रुपये) और ज्वार (200 करोड़ रुपये) शामिल हैं। हाइब्रिड बीज अपना लेने की दर धान में 7-8%, मक्का में 60-70%, बीजों ज्वार और बाजरा में 90%, कपास में 95% और शिमला मिर्च, फूलगोभी, लौकी, ककड़ी, गोभी, खरबूजे, बैंगन, गाजर और मूली, भिंडी, टमाटर, मिर्च जैसी प्रमुख सब्जियों में 80% से अधिक बताई गई है। केले में भी, 1990 के बाद वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि टिशू-कल्चर सूक्ष्म-प्रसार रोपण तकनीक से आया है जिसे जैन इरीगेशन जैसे निजी संस्था द्वारा व्यावसायिक रूप प्रदान किया गया है।

तो, क्या निजी तौर पर नस्ल के संकर किसी विनियमन के तहत कवर नहीं किए जाते हैं?

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि मौजूदा बीज अधिनियम, केवल अधिसूचित किस्मों पर लागू होता है। इसके अलावा, जब तक कि एक किस्म या संकर को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक इसके बीजों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आधिकारिक तौर पर 'जारी' नहीं होने के कारण, भारत में विपणन किए गए अधिकांश निजी संकर न तो 'अधिसूचित' हैं और न ही 'प्रमाणित' हैं।

इन सब के बावजूद, ये 'सबसे बेहतर' हैं। उन्हें बेचने वाली कंपनियां केवल यह बताती हैं कि पैकेट के अंदर के बीजों का एक न्यूनतम अंकुरण होता है (अर्थात इसके कहने का मतलब यह हुआ कि यदि 100 बीज बोए जाएंगे, तो कम से कम 75-80 से ही पौधों का उत्पादन हो पाएगा), आनुवंशिक शुद्धता, अन्य किस्मों/प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री द्वारा संदूषण और शारीरिक शुद्धता (अन्य फसल/खरपतवार के बीज या अक्रिय पदार्थ द्वारा गैर-संदूषण का अनुपात)।

प्रस्तावित बीज विधेयक, 2019 उपरोक्त अभाव को कैसे संबोधित करेगा?

यह विधेयक 'किसी भी प्रकार के या विभिन्न किस्म के बीज' के अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करके, निजी संकर- चाहे आधिकारिक तौर पर जारी किया गया हो या 'सबसे बेहतर बताया गया हो- स्वचालित रूप से नियामक दायरे में लाया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बीज (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2006 के तहत डीलरों को अधिसूचित प्रकार या बीजों के अलावा अन्य के संबंध में भी अंकुरण, शुद्धता और अन्य गुणवत्ता मानकों के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। एक नए बीज अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण को लागू करना, सभी किस्मों और संकरों को शामिल करना, बीज नियंत्रण आदेश को निरस्त करते हुए भी उद्योग को अधिक जवाबदेह बनाता है।

निजी बीज उद्योग को प्रस्तावित विधेयक का जवाब कैसे दिया गया है?

सीड कंपनियों ने संबंधित ब्रीडर्स के दावों के उनके प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए निर्धारित अवधि के लिए बहु-स्थान परीक्षणों के परिणामों के आधार पर सभी किस्मों/संकरों के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान का स्वागत किया है। इससे किसानों को कम गुणवत्ता वाले जेनेटिक्स के बीज बेचे जाने के जोखिम को कम करने में मदद होगी, खासकर गैर जिम्मेदार ऑपरेटरों से जो 'सबसे बेहतर' का प्रमाण देते है और 'स्व-प्रमाणन' प्रक्रियाओं का अनुचित लाभ उठाते है।

हालांकि, उद्योग पंजीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध करना चाहता है। सरकारी प्रणाली के भीतर जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी को देखते हुए, ब्रीडर/आवेदक द्वारा किए गए बहु-स्थान परीक्षणों के आधार पर पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है या इनकार कर दिया जा सकता है।

लेकिन उद्योगों की मुख्य चिंता बीज की कमी, कीमतों में असामान्य वृद्धि, एकाधिकार मूल्य निर्धारण या मुनाफाखोरी जैसी आकस्मिक स्थितियों में बिक्री मूल्य के विनियमन के प्रावधान से संबंधित है। तथ्य यह है कि बीज की बिक्री मूल्य तय करने की यह शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को दी गई है, इससे उनकी घबराहट बढ़ गई है। उनका तर्क है कि बीज फसलों के कुल परिचालन लागत का दसवां हिस्सा भी नहीं है इसके बावजूद इसमें शामिल आनुवंशिक जानकारी अनाज की उपज और गुणवत्ता का मुख्य निर्धारक है।

विधेयक के कानून बनने की संभावना कब है?

चर्चा के बावजूद, संसद के वर्तमान सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावनाएं कम हैं। संयोग से, बिल का एक पुराना संस्करण 2004 में पेश किए जाने के बाद खत्म हो गया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बीज अधिनियम-1966 केवल कुछ सूचीबद्ध बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करता है।
2. बीज विधेयक- 2019 के अनुसार बिक्री किए जाने वाले सभी प्रकार के बीजों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. The Seeds Act-1966 regulates the quality of only a few listed seeds.
2. According to the Seed Bill - 2019, it is mandatory to register all types of seeds.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 9 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'बेहतर कृषि उत्पादन का मुख्य आधार गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन वाले बीजों की उपलब्धता है, किन्तु बीजों की उपलब्धता के लिए मौजूद बाजार का विनियमन भी आवश्यक है।' इस कथन के संदर्भ में प्रस्तावित बीज संशोधन विधेयक की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

'The mainstay of better agricultural production is the availability of qualitative and high yielding seeds, but regulation of the existing market is also necessary for the availability of seeds.' Analyze the key features of the proposed Seed Amendment Bill in the context of this statement.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।